तारीख हुक्म

3/6/17

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश
प्रार्थी पेश हुई। वादी स्वयं
उपस्थित। रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
वादी अपना नाम हाजी मोहम्मद पुत्र
नूर मोहम्मद के स्थान पर रफीक
अली पुत्र नूर मोहम्मद करवाना
चाहता है। मामले आज में
प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही
की गई। सम्बन्धित ग्राम पंचायत
ग्रामवासी ने भी लिखित में अवगत
कराया कि हाजी मोहम्मद व रफीक
अली एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व
में भारी भ्रांति [illegible] का
[illegible] है।

रफीक अली

अतः वादी नाम गिरधारीपुरा
के खसरा सं० 178/107, 181/151
में हाजी मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद
के स्थान पर रफीक अली पुत्र
नूर मोहम्मद का नाम दुरुस्त किया
जाता है। जिसमें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली
[illegible] शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर,
[illegible] (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner